न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी — अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस

मूल वाद पत्र संख्या— 09/2020 (पुराना)
105/2022 (इस न्यायालय का)

मनीष चलावरिया पुत्र डालूराम जाति जाट, निवासी—चिरनोटिया, तह0— जोबनेर, जयपुर (राज0)

.....वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर, राज0।

....प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती किये जाने नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955

उपस्थितः— 1. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार, विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी
2. सरकार पैरोकार

दिनांकः—08.02.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955 प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश कमांक सम/2022/4190—4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। वादी अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955 ग्राम चिरनोटिया के आराजी ख.न. 144/2 रकबा 1.6565 है0, खनं0 154/2 रकबा 1.1381 है0, ख0नं0 155/1 रकबा 0.1517 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.9463 में वादी का 1/7 हिस्सा तथा आराजी ख0नं0 142/5 रकबा 0.0379 है0, ख0नं0 143/5 रकबा 0.3035 है0 मे वादी का 1/84 हिस्सा है। जिस पर वादी काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त अराजीयात वादी को उसके पिता स्व0 डालूराम से विरासत मिली है। वादी को मांगीलाल व मनीष इन दोनो नामों से जानते व पहचानते है। वादी का घर पर बोलचाल में नाम मांगीलाल है लेकिन वादी का सही एवं वास्तविक नाम मनीष चलावरिया है। जब वादी के पिता का विरासत का नामांतकरण खोला तब वादी का नाम मांगीलाल दर्ज करवा दिया गया। वादी के सभी शैक्षणिक दस्तावेज, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशनकार्ड सभी में वादी का नाम मांगीलाल न होकर मनीष चलावरिया ही अंकित किया हुआ है। जिसमें वादी के पिता का नाम डालूराम अंकित किया हुआ है। वादी के अलावा मांगीलाल अलग से कोई पुत्र स्व0 डालूराम के नहीं था वादी को ही मांगीलाल व मनीष इन दोनो नामो से पुकारे जाने से वादी का नाम उसकी खातेदारी आराजी मे मांगीलाल सहवन से अंकित हो गया है। वादी की उक्त खातेदारी में नाम मांगीलाल दर्ज रहने से तथा अन्य सभी दस्तावेजात में नाम मनीष चलावरिया अंकित होने से वादी को उक्त आराजीयात पर ऋण इत्यादि लेकर उपरोक्त आराजीयात को विकसित व उन्नत करने में परेशानियों

.....2

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

का सामना करना पडता है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उक्त खातेदारी में नाम मांगीलाल की दर्ज मनीष चलावरिया शैक्षणिक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो के आधार पर नाम की दुरूस्ती किये जाने के लिए निवेदन दिनांक 11.12.2019 को किया तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने पर नाम की दुरूस्ती किये जाने को कहा। इसलिए यह वाद बाबत दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 17/01/2023 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसके अनुसार मांगीलाल व मनीष दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

वाद पत्र एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर वाद में निम्न विवाद्यक तथ्य विरचित किए गये:–

1. आया वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नं. 144/2 रकबा 1.6565 है0, खसरा नं. 154/2 रकबा 1.1381 है0, खसरा नं. 155/1 रकबा 0.1517 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.9463 वाके ग्राम चिरनोटिया तथा खसरा नं0 142/5 रकबा 0.0379 है0, खसरा नं0 143/5 रकबा 0.3035 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.3414 पटवार हल्का मुरलीपुरा में वादी का नाम मांगीलाल पुत्र स्व0 डालूराम जाति जाट के स्थान पर मनीष चलावरियां पुत्र डालूराम जाति जाट दर्ज किया जावे।

–बजिम्मे वादी

2. दादरसी

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू–1 स्वयं को परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जो प्रदर्श–1 लगा0 प्रदर्श–12 है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में वादी की ओर से पेश दावे का समर्थन किया।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्येक विवाद्यक पर न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार है:–

1. **विवाद्यक संख्या–1:–**

इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। वादी की ओर से दौराने बहस अभिवचन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया की ग्राम चिरनोटिया के आराजी ख.न. 144/2 रकबा 1.6565 है0, खनं0 154/2 रकबा 1.1381 है0, ख0नं0 155/1 रकबा 0.1517 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.9463 में वादी का 1/7 हिस्सा तथा आराजी ख0नं0 142/5 रकबा 0.0379 है0, ख0नं0 143/5 रकबा 0.3035 है0 मे वादी का 1/84 हिस्सा है। जिस पर वादी काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त अराजीयात वादी को उसके पिता स्व0 डालूराम से विरासत मिली है। वादी को मांगीलाल व मनीष इन दोनो नामों से जानते व पहचानते है। वादी का घर पर बोलचाल में नाम मांगीलाल है लेकिन वादी का सही एवं वास्तविक नाम मनीष चलावरिया है। वादी द्वारा साक्ष्य में वादी स्वयं पीडब्लयू–1 को परीक्षित कराया। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उपरोक्त आराजीयात विरासत में प्राप्त हुई है तथा मुझे

.....3

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

मांगीलाल व मनीष दोनों नामों से पुकारा व पहचाना जाता है। जिरह में गवाह ने कहा की यह सम्पति मुझे विरासत से प्राप्त हुई है, मैंने खरीद नहीं की है।

वाद पत्र, वादी की साक्ष्य, तहसीलदार जोबनेर की मौका रिपोर्ट के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 लगा0 प्रदर्श 12 का आद्योपान्त अवलकोन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अतः इस विवाद्यक सं. 1 बहक वादी विनिश्चित किया जाता है।

अनुतोषः–

चुकि वादी विवाद्यक संख्या 1 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः उपरोक्त विवाद्यक के निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम चिरनोटिया के विवादग्रस्त आराजी ख.न. 144/2 रकबा 1.6565 है0, खनं0 154/2 रकबा 1.1381 है0, ख0नं0 155/1 रकबा 0.1517 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.9463 में वादी का 1/7 हिस्सा तथा आराजी ख0नं0 142/5 रकबा 0.0379 है0, ख0नं0 143/5 रकबा 0.3035 है0 मे वादी का 1/84 हिस्सा है। जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में मांगीलाल पुत्र डालूराम के स्थान पर मनीष पुत्र डालूराम दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर मुकाम जोबनेर जिला जयपुर व इजलास श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0,

मनीष चलावरिया बनाम राजस्थान सरकार

वाद पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती किये जाने नाम अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियिम 1955

मुकदमा नं0 09/2020 तथा इस न्यायालय का वाद पत्र संख्यांक 105/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री अरूण कुमार जैन आर0ए0एस0 बहाजरी** श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार, विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुददई व सरकार पैरोकार वास्ते प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वादी मनीष चलावरिया द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती निम्न प्रकार से निर्णीत किया जाता है:–

वादी का यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् घोषणा दुरूस्ती सभी अनुतोषों के बाबत् स्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया।

वाद के खर्चे

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.....	02/–		स्टाम्प वकालतनामा....	00/–	
स्टाम्प वकालतनामा....	01/–		स्टाम्प वजह सबूत.....		
स्टाम्प वजह सबूत.....			महनताना वकील.....		
महनताना वकील.....			खर्चा गवाहान.....		
खर्चा गवाहान.....			फीस कमिश्नर.....		
फीस कमिश्नर.....			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा.....		
हुक्मनामा.....			मुतफर्रिक.....		
मुतफर्रिक.....	05/–		मीजान.....		
मीजान.....					
कुल	08/–			00/–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

मनीष चलावरिया पुत्र डालूराम जाति जाट, निवासी–चिरनोटिया, तह0– जोबनेर, जयपुर (राज0)

वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर